

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी  
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-168/2021

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० रजिस्टर्ड कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र परमेश्वरलाल चौधरी, जाति महाजन, निवासी 70, वार्ड नं० 10, खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं 333503  
Also at – अनिल कुमार & दीपक कुमार, प्रोपर्टी- आवासीय प्लाट एट पट्टा नं० 788 एवं 789, वार्ड नं० 10, खेतडी, जिला झुंझुनूं।
2. दीपक कुमार पुत्र परमेश्वरलाल चौधरी, जाति महाजन, निवासी नीयर ताजपुर गेट, वार्ड नं० 8 ( ग्रामीण ) ( 21 ) अटली, जिला महेन्द्रगढ ( हरियाणा ) 123021
3. श्रीमती ममता देवी पत्नि अनिल कुमार, जाति महाजन, निवासी 70, वार्ड नं० 10, अमन ट्रेडर्स, खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।
4. राजेश सैनी पुत्र बाबूलाल, निवासी वार्ड नं० 13, सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं 333516

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अधारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002

—

उपस्थित:-

1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा/श्री परिवेश कुमार- प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. अप्रार्थी सं० 1 व 4 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.07.2022

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष में उनके आवेदन पर क्रेडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन ( बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन ) के पेटे 16,00,000/-रुपये अक्षरे सोलह लाख रुपये की ऋण सुविधा खाता सं० L9001060814351072 दिनांक 10.03.2018 स्वीकृत की गयी थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋणी राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है- अचल संपत्ति प्रोपर्टी आवासीय प्लाट एट पट्टा नं० 788 एवं 789, वार्ड नं० 10, खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं नपति 557.92 वर्ग गज अप्रार्थीगण अनिल कुमार एवं दीपक कुमार के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है-

पूरब में - खुला चौक  
पश्चिम में - मकान रामोतार मोदी व बरसाती नाला  
उत्तर में - वॉल ऑफ सिटी परकोटा  
दक्षिण में - आम रास्ता

अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण व ब्याज चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते प्रार्थी बैंक द्वारा दि० 12.11.2020 को ( NPA ) अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। प्रार्थी बैंक द्वारा मांग नोटिस दि० 23.04.2021 द्वारा अं० धारा 13( 2 ) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 के तहत प्रेषित कर 60 दिवस के



  
जिला कलक्टर झुंझुनूं

बकाया ऋण राशि 18,93,284 /रूपये अक्षरे अठारह लाख तिरानवे हजार दो सौ चौरासी रूपये मय ब्याज व खर्चा दिनांक 12.11.2020 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे/नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक को सुपर्द करने का अधिकार प्राप्त है। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। गिरवीकृत संपत्ति जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है— अचल संपत्ति प्रोपर्टी आवासीय प्लॉट एट पट्टा नं0 788 एवं 789, वार्ड नं0 10, खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं नपति 557.92 वर्ग गज अप्रार्थीगण अनिल कुमार एवं दीपक कुमार के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है—

- पूरब में — खुला चौक
- पश्चिम में — मकान रामोतार मोदी व बरसाती नाला
- उत्तर में — वॉल ऑफ सिटी परकोटा
- दक्षिण में — आम रास्ता
- दक्षिण में — घरेलू रास्ता

उक्त गिरवीकृत संपत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालो से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति से बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस सुनी गई।


हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0

  
जिला कलक्टर झुंझुनूं

के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें हैं। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अप्रार्थी अनिल कुमार व दीपक कुमार के मालिकाना हक की अचल संपत्ति प्रोपर्टी आवासीय प्लॉट एट पट्टा नं० 788 एवं 789, वार्ड नं० 10, खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं नपति 557.92 वर्ग गज का पजेशन प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 27.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( एल०एस०कुडी )  
जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं